

राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएँ

- राजकीय विद्यालयों में योग्यताधारी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य।
- विद्यार्थी एवं विद्यालय के विकास के लिए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति संचालित, जिसमें अभिभावक, जन प्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक महीने में आयोजित।
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) एवं विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा।
- कक्षा 8 में ए ग्रेड या इससे ऊपर के मेधावी पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण।
- कक्षा 7 व 8 के योग्य विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु, अन्य पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विशेष पिछड़ी जाति आदि वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति देय।

बालक-बालिकाओं का प्रवेश राजकीय विद्यालयों में कराएँ।
निःशुल्क शिक्षा दिलाएँ, सबको पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ।।



राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

संबन्धित पाठ्यपुस्तक गणित

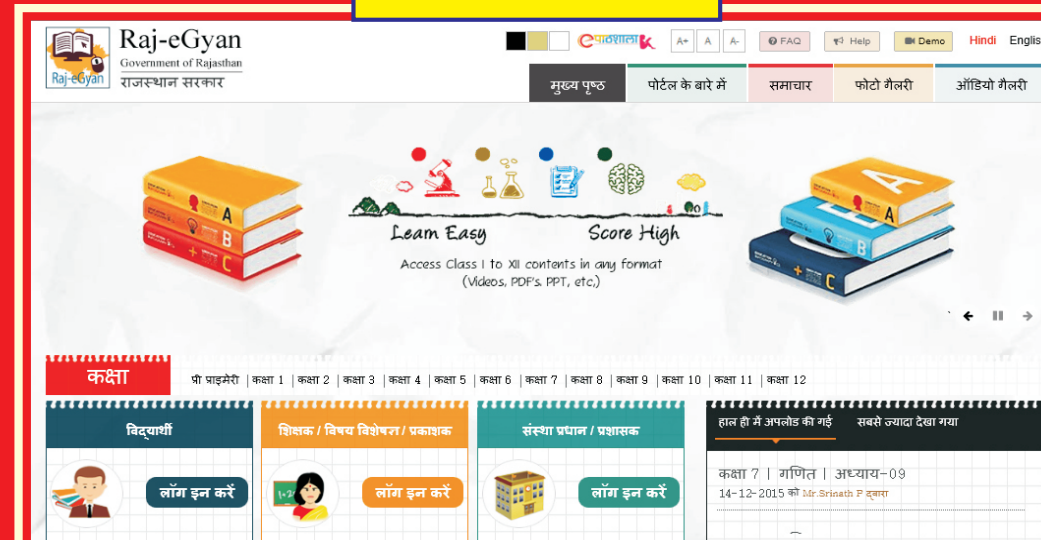
कक्षा स्तर : 1

(आयु वर्ग अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु)



राजकीय विद्यालयों में
निःशुल्क
वितरण हेतु

सब पढ़ें, सब बढ़ें



<http://egyan.rajasthan.gov.in/goresa/> पोर्टल हिन्दी भाषा हेतु

<http://egyan.rajasthan.gov.in/goresa/home/> पोर्टल अंग्रेजी भाषा हेतु

राज-ई ज्ञान –

डिजिटल इंडिया की अवधारणा को सार्थक करते हुए विद्यालयों में अधिगम स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं विद्यार्थियों की प्रत्येक कक्षा स्तर की प्रत्येक विषय वस्तु तक सुगम व सक्षम पहुंच बनाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक पोर्टल “राज-ई-ज्ञान” का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तरीय विषयवस्तु ई-कंटेंट टेक्स्ट, पॉवर-पॉइंट, एनिमेशन, विडियो, ऑडियो, ई-पुस्तक आदि प्रारूपों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है। राज-ई ज्ञान पोर्टल का निर्माण दो भाषाओं में किया गया है, हिन्दी व अंग्रेजी।

ई- संसाधन

राज-ई ज्ञान पोर्टल पर विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद व अभिभावक ई पुस्तक, विडियो, ऑडियो, वर्कशीट इत्यादि प्रारूप में विषय सामग्री का उपयोग कर सकते हैं व विद्यालय एवं शिक्षक, स्वयं द्वारा तैयार की गयी सामग्री को इस पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हैं।

विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजनाएँ

01. छात्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	छात्रवृत्तियाँ	पात्रता हेतु आयकर सीमा वार्षिक	कक्षा	मासिक दर(रु.)	
				छात्र	छात्रा
1.	अनुसूचित जाति	आयकर दाता न हो	6 से 8	75	125
2.	अनुसूचित जनजाति			75	125
3.	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति (सीमान्त एरिया)			15	20
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग			40	40
5.	विशेष पिछड़ा वर्ग	2.00 लाख		50	100
6.	सफाई के कार्य से जुड़े एवं जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे परिवार के विद्यार्थियों हेतु	—	1 से 8	110 750 एकमुश्त अनुदान	110 750 एकमुश्त अनुदान
7.	अल्प-संख्यक वर्ग	1.00 लाख		प्रवेश शुल्क-कक्षा 6 से 8-500 रु. वार्षिक या वास्तविक शुल्क या जो कम हो। शिक्षण शुल्क-कक्षा 6 से 8 350 रु. प्रतिमाह या वास्तविक शुल्क या जो कम हों। रखरखाव भत्ता- कक्षा 1 से 8 100 रु प्रतिमाह	

आवेदन प्रक्रिया — सत्र आरम्भ में निर्धारित तिथि तक वांछित दस्तावेजों सहित विद्यार्थी संबंधित विद्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा।
संलग्नक दस्तावेज- 01. जाति प्रमाण पत्र, 02. आय प्रमाण-पत्र (स्वघोषणा पत्र), 03. बैंक खाता सं. की फोटो प्रति, 04. गत वर्ष की अंक तालिका, 05. स्वयं की 02 फोटो
विस्तृत जानकारी वेबसाईट <http://www.sje.rajasthan.gov.in/>

02. सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

01. योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु	इस योजना अन्तर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी बीमित हैं — 01.योजना हेतु विद्यार्थी से तात्पर्य राजस्थान स्थित किसी भी राजकीय विद्यालय की नामांकन पंजिका में दर्ज विद्यार्थी से है। 02.विद्यार्थी की मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पॉलिसी के प्रभावी रहने तक भारत में किसी भी स्थान और समय पर दुर्घटना घटित होने पर योजना का लाभ देय होगा 03.मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दोनों ही परिस्थितियों में दावा राशि विद्यार्थी के माता/पिता/संरक्षक को ही देय होगी।
02. स्वत्व प्रक्रिया	01.दुर्घटना की स्थिति में दावा प्रपत्र छात्र/अभिभावक/संरक्षक से द्वारा दुर्घटना तिथि से छः माह के अन्दर विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से हस्ताक्षरित एवं संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होकर राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है।
03. देय लाभ	01.दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1.00 लाख एवं अन्य अंग क्षतिग्रस्त होने पर पॉलिसी के प्रावधानुसार।
04.विस्तृत जानकारी	01.वेबसाइट sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।